रजिस्टर्ड

राजस्थान सरकार

राजस्थान आयुर्वेद नर्सिंग परिषद, जयपुर

(आयुष भवन, कमरा नं0 314—15, सेक्टर—26, प्रताप नगर, जयपुर—302033)
E-mail: rancjaipur2012@gmail.com दूरभाषः 0141—2796295

क्रमांकः रा.आ.न.प. / सामा. / शैक्षणिक / (104) / 2025—26 / 6115-19 दिनांकः—24.10.25

कार्यालय आदेश

राज्य सरकार के पत्र क्रमांक प. 2(2)आयु. / 2025—03542 पार्ट 2 दिनांक 06.04.2025 के राइजिंग राजस्थान समिट—2024 के द्वारा अनापत्ति प्रमाण—पत्र प्राप्त संस्था को उपवेशन दिनांक 05.03.2025 के निर्णयानुसार एवं इस कार्यालय के पत्रांक 5560—65 दिनांक 25.09.2025 के आधार पर प्राप्त निरीक्षण प्रतिवेदन का विशेष बैंठक दिनांक 19.05.2025 के निर्णयानुसार तीन सदस्यों की कमेठी के अवलोकन परीक्षण उपरान्त तथा परिषद् के अधिनियम 2012 की धारा 28 व परिषद् विनियम 2018 पार्ट X के 52 (8) के प्रावधानानुसार व विनियम 2018 के बिन्दु संख्या 43 के अनुसरण में आयुर्वेद नर्स / कम्पा. प्रशिक्षण केन्द्रों को शैक्षणिक सत्र 2025—26 की परिषद् द्वारा मान्यता—सम्बद्धता प्रदान करने के सन्दर्भ में डिप्लोमा इन आयुष नर्सिंग एण्ड फार्मेसी पाठ्यक्रम में शैक्षणिक सत्र 2025—26 में विद्यार्थियों के प्रवेश हेतु परिषद् द्वारा संस्था **महाराणा प्रताप मानव विकास समिति, मोहन नगर, हिण्डौनसिटी—करौली द्वारा भगवान महावीर आयुर्वेद नर्स / कम्पाउण्डर प्रशिक्षण केन्द्र कांचरोली हिण्डौन सिटी—करौली** को उक्त सत्र 2025—26 की मान्यता—सम्बद्धता प्रदान कर, **60 सीटों** पर प्रवेश की एतद्द्वारा निम्न शर्तो के अन्तर्गत स्वीकृति प्रदान की जाती है:—

1. पूर्व निर्देशानुसार परिषद् द्वारा वांछित दस्तावेजों में से यदि कोई अवशेष रहे दस्तावेजों को आपकी संस्था द्वारा परिषद् कार्यालय में कांउसलिंग से पूर्व जमा कराया जाना आवश्यक होगा।
2. स्वयं परिषद् द्वारा या निरीक्षकों के द्वारा उक्त सत्र के मध्य किसी भी समय आपकी संस्था का निरीक्षण करवाया जा सकता है, कोई अनियमितता / कमियां पाये जाने पर संस्था की मान्यता—सम्बद्धता निरस्त की जा सकती है।
3. उपरोक्त सत्र हेतु स्वीकृत सीटों के अनुपात में प्रवेशार्थी विद्यार्थियों की संख्या कम होने पर उक्त सत्र के संचालन का उत्तरदायित्व स्वयं संस्था का होगा।

(डॉ.मुखत्यार सिंह)
रजिस्ट्रार

क्रमांकः रा.आ.न.प. / सामा. / शैक्षणिक / (104) / 2025—26 / 6115-19 दिनांकः—24.10.25

प्रतिलिपि :— निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :—

1. श्रीमान् निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, आयुष विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. श्रीमान् शासन उप सचिव महोदय, आयुष विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
3. श्रीमान् नोडल अधिकारी आयुष शिक्षा प्रकोष्ठ आयुष भवन प्रताप नगर—जयपुर ।
4. श्रीमान् निदेशक, निदेशालय आयुर्वेद विभाग राजस्थान—अजमेर।
5. प्राचार्य, **महाराणा प्रताप मानव विकास समिति, मोहन नगर, हिण्डौनसिटी—करौली द्वारा भगवान महावीर आयुर्वेद नर्स / कम्पाउण्डर प्रशिक्षण केन्द्र कांचरोली हिण्डौन सिटी—करौली** ।
6. रक्षित पत्रावली।

रजिस्ट्रार